

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

बनाम संतोष केकर कोट्टा
ख्या/वर्ष 105/2016 अधिनियम 120

क्रमांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
----------------------------	----------------------	-------------

<p>24/12/19</p>	<p>14/11/19 वकुलाम उप. काते फेके होने जवाब प्राणना दिग्ने 24/12/19 के पेश हो <i>ks</i> उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p> <p>वकुलाम उप. जवाब अधिनियम पूर्व में पेश हो चुका है। वरस उपपक्ष सुनी गयी। बाद वरस मगर प्राणना को पेश के ता फैसला मूलवाद अस्थापी निषेधाज्ञा से पास न किया जाता है कि वे मुक्ति क्रम 1269/07 है वरसे ग्राम जयसिंहपुर तहसील विराटनगर के रहने, अप मुक्तकिल्ला को गैरे व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। कावली फैसला मुक्त लेकर <i>ks</i> से कर से हम किता मूलवाद रहे।</p>	<p><i>ks</i> उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p>
-----------------	---	--

